राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7) शिक्षा–4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 25.08.2021

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलपति, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
16. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः– कोविड–19 वैश्विक महामारी के मध्यनजर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिनांक 1.9.2021 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः– गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 12.8.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के कम होते प्रभाव को मध्यनजर रखते हुए गृह विभाग ने संदर्भित दिशानिर्देश जारी कर 1.9.2021 से विभिन्न शर्तों के तहत शिक्षण संस्थान खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।

अतः गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश कमांक प. 7 (1) गृह–7/2021, दिनांक 12.8.2021 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 1.9.2021 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की जावें।

इस हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें:–

1. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इनमें कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों, सभी कार्मिकों का अतिशीघ्र टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. विद्यार्थियों की परिसर में उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखी जावे। इस हेतु विद्यार्थियों को एक दिन छोडकर (Alternate days) बुलवाया जावे।
3. परिसर में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्केनिंग सुनिश्चित की जावे।
4. Contact tracing को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावे।

Scanned with CamScanner

5. भौतिक उपस्थिति वैकल्पिक होगी। विद्यार्थियों को अनुपस्थित मार्क नहीं किया जाए एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को बन्द रखा जावे ताकि संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहे।
6. ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन उन विद्यार्थियों के लिए किया जायेगा जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होना चाहते। ऑनलाइन क्लासेज को प्रोत्साहित किया जाये।
7. विद्यार्थियों को संस्थानों में मोबाईल फोन की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि कान्टेक्ट ट्रेसिंग में सहायक हो सके एवं राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग किया जा सके।
8. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाए कि वो अपने मोबाईल में राजकोविड इन्फो एवं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें एवं एप पर अपनी स्थिति को अपडेट रखें।
9. इस बाबत विभाग द्वारा समय समय पर जारी अन्य सभी निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न– गृह विभाग के दिशा–निर्देश।

भवदीय,

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. कुलसचिव, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner